न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 246/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/399

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
रामलाल पुत्र मानाराम जाति जाट निवासी खारापार हाल समदड़ी रोड़ बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा		1.रूपाराम पुत्र उकाराम जाति माली निवासी बालोतरा 2.ओमाराम पुत्र अचलाराम 3.चन्द्रपकाश पुत्र अचलाराम 4.प्रभुराम पुत्र अचलाराम 5.पारसमल पुत्र अचलाराम 6.मोहनराम पुत्र अचलाराम 7.गवरी पत्नी अचलाराम जाति मेगवाल निवासी बिठुजा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 8.इमियो पत्नी ताजाराम 9.ताजाराम पुत्र राऊराम 10.श्रीराम पुत्र आईदानराम जाति जाट निवासी पाबोलाई हाल जीरो रेल्वे क्रोसिंग बालोतरा 11.लालचन्द मेहता पुत्र सुल्तानमल जाति ओसवाल निवासी कंसारो का धोरा बालोतरा 12.आयुक्त,नगर परिषद बालोतरा 13.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री अचलाराम थोरी ,अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री जूंजाराम पटेल तथा श्री अरिहन्त तातेड़ अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 11
3. विप्रार्थी संख्या 1 से 10 व 12,13 एकपक्षीय

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश

दिनांक 28.05.2024

1. प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बिठूजा पटवार हल्का बिठूजा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1523/28 क्षेत्रफल 0.3291 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा ग्राम बिठूजा पटवार हल्का बिठूजा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1523/28 क्षेत्रफल 0.3291 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2. प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 11 की ओर से वकालतनामा मय जवाब पेश कर प्रार्थी का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया। विप्रार्थी संख्या 08 से 10 की ओर से इकबाली जवाब पेश किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 से 07 व 12,13 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बिठूजा पटवार हल्का बिठूजा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1523/28 क्षेत्रफल 0.3291 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है और प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है,इस कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि की नेखमबंदी की जानी आवश्यक है। प्रार्थी की विवादित भूमि पर माननीय सिविल न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी नहीं किया गया है,विप्रार्थी वकील द्वारा न्यायालय को गुमराह किया जा रहा है। विप्रार्थी येन–केन प्रकरण को लम्बित करना चाहते हैं, जबकि विवादित भूमि का प्रार्थी खातेदारी है और खातेदार अपनी भूमि की सीमओं की सुरक्षा करने के लिए नेखमबंदी करवानें का हकदार है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया ग्राम बिठूजा पटवार हल्का बिठूजा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1523/28 क्षेत्रफल 0.3291 भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.वक्त बहस वकील विप्रार्थी संख्या 11 ने निवेदन किया कि प्रार्थी का आवेदन पत्र गलत तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज योग्य है। क्योंकि प्रार्थी और विप्रार्थी संख्या 11 की भूमि सेढा सेढ नहीं है बल्कि दोनो के बीच कटाण रास्ता आया हुआ है जो मौके मौजुद है। प्रार्थी एवं विप्रार्थी के खेत के बीच में मौके पर पक्की सड़क बनी हुई हैं। प्रार्थी के स्वंय के आवेदन पत्र पर विवादित भूमि

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

की दो बार पैमाईश करवाई गई है और स्वंय प्रार्थी द्वारा दो बार पैमाईश मानने से इन्कार किया गया तथा मौका फर्द पर हस्ताक्षर भी नहीं किए गए। अपनी बहस को आगे जारी रखतें हुए निवेदन किया कि खसरा संख्या 28 रकबा 03 बीघा 04 विस्वा भूमि का रेकर्ड व नक्शा में भिन्नता हैं, जिसको प्रार्थी द्वारा सुधार कराने के बाद ही वास्तविक नाप व पैमाईश करवाई जा सकती हैं। रेकर्ड व नक्शे में भिन्नता होने से बार बार मौके पर पैमाईश के वक्त विवाद उत्पन्न होता है तथा रेवेन्यू अधिकारियों के द्वारा कहने के बावजूद प्रार्थी के द्वारा किसी भी प्रकार की सुधार की प्रक्रिया को नहीं अपनाया जा रहा है। विवादित भूमि के खसरा संख्या 28 के खातेदार चांद मोहम्मद के द्वारा जो प्रार्थी के हकपूर्वाधिकारी थे,नगरपरिषद बालोतरा के द्वारा गैर मुमकिन कटाण के रास्ते पर सड़क निर्माण करने पर उनके द्वारा श्रीमान सहायक कलेक्टर बालोतरा में वाद–पत्र बाबत व्यादेश का पेश किया गया था,जिसके बाद नगरपरिषद द्वारा गैर मुमकिन कटाण रास्ते पर सड़क निर्मित कर दी थी,जो आज रोज भी मौके पर मौजूद हैं,जिसके बाद चांद मोहम्मद ने वाद–पत्र विड्रो कर दिया था। हाल ही में प्रार्थी के द्वारा मौके पर सड़क को लेकर पुनः विवाद बिना किसी वजह के शुरू किया,तो विप्रार्थी संख्या 11 के द्वारा सिविल न्यायालय बालोतरा में सिविल वाद प्रस्तुत किया गया जिसमें स्थगन आदेश अपीलीय जिला न्यायालय द्वारा मौके की यथास्थिति बनाये रखने का पारित किया गया,जो आज रोज भी प्रभावी हैं। प्रार्थी के स्वंय के द्वारा श्रीमान सहायक कलेक्टर बालोतरा में इसी भूमि व आम रास्ता की भूमि व विप्रार्थी के बीच विवाद दर्शाते हुए धारा 188 का वाद–पत्र पेश कर रखा हैं,जो विचाराधीन हैं। उक्त वाद–पत्र में भी श्रीमान सहायक कलेक्टर बालोतरा के द्वारा मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश दिनांक 16.08.2023 को पारित किया, जो आज रोज भी प्रभावी हैं। अतः में निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बिना किसी रेकर्ड सुधार की प्रक्रिया को अपनातें हुए तथा मौके पर गैर मुमकिन सड़क मौजूद होने के बावजूद विप्रार्थी को बार बार परेशान करने के इरादे से बार बार अधिकारियों से आदेश प्राप्त कर मौके पर परेशान किया जा रहा है। इस कारण प्रार्थी का आवेदन पत्र गलत तथ्यों के आधार पर सारहीन होन के कारण मय खर्चो खारिज फरमाया जावें।

5.हमनें उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात एवं विवादित भूमि की सीमाज्ञान मौका फर्द का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी रामलाल की ओर से अपनी खातेदारी भूमि ग्राम बिठूजा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1523/28 रकबा 0.3291 हैक्टेयर भूमि की सीमाओं का स्थाई चिन्हीकरण नहीं होने के कारण सेढा पड़ौसी विप्रार्थीगण से सीमाओं को लेकर अक्सर वाद–विवाद होने के कारण अपनी खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान व नेखमबंदी करवाने के लिए आवेदन–पत्र पेश किया हैं।

विप्रार्थी संख्या 11 वकील की मुख्य आपति है कि प्रार्थी व विप्रार्थी की भूमिया सेढा सेढ नहीं हैं बल्कि दोनो खेत के बीच कटान मार्ग अवस्थित है,जो मौके पर मौजूद हैं। प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि की दो बार सीमाज्ञान करने के उपरान्त प्रार्थी स्वंय सीमाज्ञान रिपोर्ट को अस्वीकार कर रहा हैं तथा माननीय सिविल न्यायालय बालोतरा में सिविल वाद विचाराधीन है,जिसमें स्थगन आदेश प्रभावी होने के कारण आवेदन पत्र चलने नही के कारण खारिज किया जाने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड के अनुसार ग्राम बिठूजा पटवार हल्का बिठूजा तहसील
पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1523/28 क्षेत्रफल 0.3291 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज
है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से
स्पष्ट है,कि प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड खातेदार है और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की
सीमाज्ञान करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण के
निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का उल्लेख करना
उचित समझते है,जिसके अनुसार,**धारा 128 सीमा विवाद**–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख
अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:
1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद
विद्यमान नहीं हो,किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्मावना हो तो
तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा
न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 20.7.2017 व
20.7.2021 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं को लेकर विवाद
होने का उल्लेख है,ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 के तहत
हस्तगत प्रकरण का निरस्तारण न्यायालय हाजा से ही किया जाना है। हस्तगत प्रकरण में विप्रार्थी
संख्या 08 से 10 की ओर से प्रार्थी के आवेदन पत्र के तथ्यों को स्वीकार करतें हुए इकबाली जवाब
पेश किया गया है। विप्रार्थी संख्या 11 वकील का उज्रर–एतराज कि माननीय सिविल न्यायालय द्वारा
स्थगन आदेश पारित होने के कारण प्रार्थी का आवेदन चलने योग्य नहीं है। उक्त तर्क स्वीकार
योग्य नहीं है,क्योंकि विप्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत आदेशिका अवलोकन के आधार पर माननीय
न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 13.4.2023 के द्वारा ग्राम बिठूजा की खसरा संख्या 43 व 43/1
वर्तमान खसरा संख्या 600/43 के संबध में स्थगन आदेश पारित किया है न कि प्रार्थी की खातेदारी
भूमि पर। जबकि प्रार्थी व विप्रार्थी की भूमि के बीच में कटाण मार्ग अवस्थित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी
तथा विप्रार्थी संख्या 11 के मध्य सीमा को लेकर विवाद होने का तथ्य अव्यवहारिक प्रतीत होता
है,अतः विप्रार्थी संख्या 11 द्वारा हस्तगत प्रार्थना–पत्र विचारण के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजात एवं
मौखिक बहस के दौरान जाहिर कथनों को अधिक महत्व नहीं दिया जाकर प्रार्थी खातेदार को अपनी
खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान के अधिकार को प्राथमिकता दी जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जाना
अधिक प्रासंगिक है।

7.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की
नेखमबंदी करवानें का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत
प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111,128
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार
किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान किए जाते है कि राजस्थान भू राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

अधिनियम 1956 की धारा 111 मे विहित प्रकिया के अनुसरण में प्रार्थी की भूमि ग्राम बिठूजा पटवार हल्का बिठूजा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1523/28 क्षेत्रफल 0.3291 हैक्टेयर भूमि की सीमाज्ञान करवाकर नेखम स्थापित करें। उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। मौके पर कब्जा संबधी विवाद होने पर रिपोर्ट न्यायालय हाजा में पेश करें। तहसीलदार पचपदरा तथा थानाधिकारी पुलिस थाना जसोल को पालनार्थ तहरीर जारी हों। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफतर हो।

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 28.05.24 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा